निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DESPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी A wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

संदर्भ सं.निबीप्रगानि/जबीवि/ 8926 /05.03.01/2008-09 दिनांक: मार्च 20, 2009
Ref. No. DICGC/DID/ 8926 /05.03.01/2008-09 Date: March 20, 2009

सभी बीमाकृत बैंक / All Insured Banks

महोदय/महोदया Dear Sir / Madam

जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान - सेवा कर

<u>Payment of Deposit Insurance Premium – Service Tax</u>

कृपया उपर्युक्त विषय पर 12 जनवरी, 2009 का हमारा परिपत्र सं. निबीप्रगानि/जबीवि/746 /05.03.01/2008-09 देखें जिसमें केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर आयोग, बड़ी मात्रा में कर भरने वाले यूनिट (एलटीयू), मुंबई से प्राप्त सूचना दी गयी थी जिसके अनुसार निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को "सामान्य बीमा कारोबार (विविध बीमा)" शीर्ष के अंतर्गत शामिल करके दिनांक 1 मई, 2006 से उसे सेवा कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।

Please refer to our circular letter No.DICGC/DID/746/05.03.01/2008-09 dated January 12, 2009 on the captioned subject regarding the communication from the Commissionerate of Central Excise and Service Tax, LTU, Mumbai covering the activities carried out by the Corporation under the head “General Insurance Business (Misc. Insurance)”, rendering it liable to Service Tax with effect from May 1, 2006.

2. इस मामले को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित किया गया जिसने 24 फरवरी, 2009 के अपने पत्र के अनुसार यह स्पष्ट किया कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा वसूले जाने वाले प्रभार "सामान्य बीमा सेवा" के कर योग्य सेवा के अंतर्गत कर योग्य नहीं है।

2. The matter was referred to the Ministry of Finance, Government of India who have since clarified vide their letter dated February 24, 2009 that the charges collected by DICGC are not taxable under the taxable service of ‘General Insurance Service’.

भवदीय,

जे.के. दाश
उप महाप्रबंधक

Yours faithfully,

(J.K.Dash)
Dy. General Manager

भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008
टेलिफोन सं.022-23019675 फैक्स: 022-23015662 223018165 ई-मेल: dicgc@rbi.org.in

Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai Central, Mumbai-400008
Tel.No.022-23019675 Fax: 022-23015662, 23018165 e-mail:dicgc@rbi.org.in
हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए